शीला सिंह बनाम तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी, निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी: सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र सं0————————————————————84 / 2025

प्रविष्टि दिनांक ————————————————————24.03.2025

उनवान

शीलासिंह पत्नी अमरनाथ सिंह जाति राजपूत, निवासी वीर कुंवरसिंह पथ वी मार्ट के पास नई एरिया ओरंगाबाद बिहार

बनाम —प्रार्थीया

तहसीलदार निवाई, जिला टोंक

अप्रार्थी

उपस्थित—श्री रामावतार शर्मा—अभिभाषक प्रार्थी
पेरोकार सरकार — अप्रार्थी

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक—8/4/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी ख0नं0 561/4 रकबा 2.5293 हैक्टेयर वाके ग्राम बहकवा पटवार हल्का बिड़ोली तहसील निवाई में स्थित है। प्रार्थीया अपनी सम्पूर्ण भूमि पर बतौर मालिक स्वामी है, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड नक्शा शीट में प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की तरमीम मौके के अनुसार नहीं कर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम कम कर रखी है। प्रार्थीया की भूमि में से 12 फीट चौड़ा मौके पर डामर रोड़ भी बना हुआ है किन्तु उक्त रोड़ का राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी अंकित किया हुआ नहीं है जबकि उक्त रोड़ प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाया हुआ डामरीकरण रोड़ मौके पर स्थित है जिसके दोनों तरफ उत्तरी एवं दक्षिणी प्रार्थीया की भूमि मौके पर स्थित है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख0नं0 561/4 रकबा 2.5293 हैक्ट0 वाके ग्राम बहकवा पटवार हल्का बिड़ोली तहसील निवाई में राजस्व रिकॉर्ड नक्शा शीट में मौके के अनुसार विधिवत रूप से तरमीम दुरूस्ती की जाकर नक्शा शीट को सही व दुरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र के साथ साक्ष्य दस्तावेज मे जमाबंदी संवत 2071—74 नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पेरोकार सरकार ने स्वीकारोक्ति जवाब प्रस्तुत किया है। पेरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार भूमि खसरा नंबर 561/94 रकबा 2.5293 हैक्ट0 रिकार्ड अनुसार खातेदार शीलासिंह पत्नी अमरनाथ सिंह जाति राजपूत, निवासी वीर कुंवरसिंह पथ वी मार्ट के पास नई एरिया ओरंगाबाद बिहार के नाम दर्ज है। ग्राम बहकवा के मूल ख0नं0 561 के वर्तमान में 10 बट्टा नम्बर दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक जमाबंदी उक्त खसरा नम्बर के सभी 10 बट्टा नम्बरान का

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

रकबा 14.9354 हैक्ट0 होता है। तथा DILRMP शीट अनुसार उक्त खसरा नम्बर 561 के सभी 10 बट्टा नम्बरान का रकबा बरारी करने पर कुल रकवा 14.3471 हैक्ट0 होता है इस प्रकार DILRMP शीट के रकबा अनुसार ख0नं0 561 के सभी वट्टा नम्बरान का रकवा 0.5883 हैक्ट0 जमाबन्दी में दर्ज होने से कम होता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क0सं0	खसरा नम्बर	DILRMP शीट अनुसार रकबा (हैक्ट.)	जमाबन्दी अनुसार रकवा (हैक्ट.)
01	561/1	1.9836	2.1752
02	561/2	2.5346	2.5293
03	561/3	2.4623	2.5293
04	561/4	2.4020	2.5293
05	561/5	2.5754	2.2890
06	561/6	0.5680	0.6323
07	561/7	0.5584	0.6323
08	561/8	0.5702	0.6323
09	861/9	0.6212	0.6323
10	561/10	0.3714	0.3541
	कुल रकबा	14.3471	14.9354

वर्तमान में मौके पर प्रार्थीया के खेत ख0नं0 561/4 में डामर रोड़ बना हुआ है उक्त रोड़ का राजस्व रिकॉर्ड अंकन है। उक्त ख0नं0 में स्थित रोड़ प्रार्थीया द्वारा क्रय करने से पूर्व ही बनी हुई है।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। उक्त आराजी के संबंध मे पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया है प्रार्थीया द्वारा कब्जे काश्त की भूमि का मौके कब्जे अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन से शेष है। जिसके संबंध में पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में माना है कि DILRMP के दौरान उक्त आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम त्रुटिवश कम हुई है। जिसे शुद्व कराने की प्रार्थीया हकदार है। राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रकार की त्रुटियो को सुधारने का प्रावधान किया गया है। चूंकि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मे तरमीम दुरूस्ती की जानी है। यदि समय रहते उक्त दुरूस्ती नही की गई तो भविष्य मे विवादो मे बढोतरी की संभावना है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र उक्त अधिनियम के प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत किया गया है जो आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

फलतः प्रार्थना पत्र राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 बाबत भूमि ख.न. 561/4 रकबा 2.5293 हैक्ट0 वाके ग्राम बहकवा, पटवार हल्का बिड़ोली तहसील निवाई पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के अलोक मे स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, निवाई को आदेश दिया जाता हैं कि ख.न. 561/4 रकबा 2.5293 में जमाबंदी अनुसार रकबा तरमीम को दुरूस्त कर, नक्शा शीट मे दुरूस्ती कर, पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 8/4/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई